12.3.22 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। पेशकार सरकार ने प्रकरण में राजीनामा प्रमाणित नहीं होना बताया, एवं वाद पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अर्जी पेश की। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त वाद पत्र, वादीगण स्वीकार करना उचित समझती है।

अतः वाद पत्र, वादीगण स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डि. पृथक लिखायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामगोपाल

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27 / 2022

तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

1. गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति लुहार निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद हाल निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां।
2. शान्तिबाई उर्फ रामकन्याबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल बेवा श्री बाबूलाल जाति लुहार निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम गाडरवाडा नूरजी, तहसील खानपुर जिला झालावाड।

—वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। —प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:26 IST
Reason: SelfAttested

—निर्णय—

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 501 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 502 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.81 हैक्टर आराजी वाके ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रं. 1 का नाम गोपाल अंकित है जबकि अन्य राजकीय दस्तावेजों में वादी क्रं. 1 का नाम रामगोपाल दर्ज है तथा वादी क्रं. 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में शान्तिबाई अंकित है जबकि अन्य राजकीय दस्तावेजों में वादी क्रं. 2 का नाम रामकन्याबाई दर्ज है। इस प्रकार अन्य राजकीय दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम में एकरूपता नहीं होने के कारण वादीगण को सरकार से अनुदान, मुआवजा राशि प्राप्त करने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। गत सप्ताह वादीगण द्वारा पटवारी हलका से राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम दुरूस्त करने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा तो यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकार्ड में अंकित उक्त नाम वादीगण के ही हैं, अन्य व्यक्तियों के नहीं हैं। उक्त राजस्व त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हलका द्वारा न्यायालय में कार्यवाही कर इन्द्राज दुरूस्त करवाने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय [illegible] वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादग्रस्त आराजी [illegible] रिकार्ड में वादी क्रं. 1 का नाम 'गोपाल' के स्थान पर 'रामगोपाल' एवं वादी [illegible]. 2 का नाम 'शान्तिबाई' के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्थान पर 'रामकन्याबाई' किये जाने के आदेश फरमाये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार प्राप्त किया जिसमें पैरोकार सरकार तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं होना आदेशिका पर अंकित कर वाद पत्र वादीगण स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त वाद पत्र वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 501 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 502 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.81 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रं. 1 का नाम 'गोपाल' के स्थान पर 'रामगोपाल' एवं वादी क्रं. 2 का नाम 'शान्तिबाई' के स्थान पर 'रामकन्याबाई' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। नियमानुसार डिक्री पारित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:26 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद